

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 617/2025

जगसीर सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति मजहबी निवासी चक हीरासिंहवाला  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. कशमीर सिंह पुत्र स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति मजहबी निवासी चक हीरासिंहवाला  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति मजहबी निवासी चक हीरासिंहवाला  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति मजहबी निवासी चक हीरासिंहवाला  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गोटी उर्फ चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरदयाल सिंह जाति मजहबी निवासी चक  
हीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 102/99 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 1027/2738 हिस्सा अर्थात् 1.027 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह का नाम कलमजन करने व इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एन.के.आर. के खाता सं. 88/50 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 71/190 हिस्सा अर्थात् 0.142 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह का नाम कलमजन करने तथा इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के

कलक्टर एवं  
अधिकारी  
संगरिया

2073-76 में 663/1771 हिस्सा अर्थात् 0.663 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री. गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया



नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा

मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.01.2021 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया